रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2941] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/ श्रावण 8, 1940
No. 2941] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/SHRAVANA 8, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

विषय : विश्वेसरैय्या पीएचडी योजना के अन्तर्गत लाभों के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग।

का.आ. 3731(अ).—सेवाओं अथवा लाभों अथवा सब्सिडी के प्रदाय के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता लाता है और दक्षता बढ़ाता तथा हितग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित रीति में सीधे अपने हक़ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति विशेष की पहचान सत्यापित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी समाप्त करता है ।

और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इसे इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विश्वेसरैय्या पी.एच.डी. योजना की केंद्रीय क्षेत्र योजना का प्रशासन कर रहा है** (इसे इसके पश्चात् योजना कहा गया है) जिसके अंतर्गत पी.एच.डी. अभ्यर्थियों और युवा संकाय सदस्य अनुसंधानकर्ताओं (इसे इसके पश्चात् सामूहिक रूप से हितग्राही कहा गया है) को वित्तीय सहायता दी जाती है;

और हितग्राहियों के लिए प्रस्तावित वित्तीय सहायता अधिसदस्यता, वार्षिक आकस्मिकता अनुदान, किराए की प्रतिपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुति के लिए समर्थन और अनुसंधान आकस्मिकता अनुदान (इसे इसके पश्चात् सामूहिक रूप से हित कहा गया है) के रूप में है । डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) (इसे इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जाता है, जो बदले में योजना के अधीन सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से समर्थित संस्था कहा गया है) के लिए लाभों का स्थानांतरण करता है;

और योजना के अंतर्गत उपरोक्त हित में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है;

अत:, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य साहियिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का 18) (इसको इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधो के अनुसार केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1.

1.1 इस योजना के अधीन कोई भी व्यक्ति प्रसुविधा प्राप्त करना चाहता हैं, तो उसे अपने पास आधार होने का सबूत प्रस्तुत करना होगा अथवा आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया का पालन पूरा करने की अपेक्षा होगी ।

1.2 योजना के अधीन अगर कोई भी व्यक्ति प्रसुविधा लेना चाहता हैं और उनके पास आधार संख्या नहीं है अथवा अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, तो उन्हें विश्वेसरैय्या पीएचडी योजना के अंतर्गत नामांकन की तारीख से एक माह के अंदर आधार में नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु वह व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हों और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय पहचान विशिष्ट प्राधिकरण के वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) में जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं ।

1.3 आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय को अपनी कार्यन्वयन अभिकरण और सहायता प्राप्त संस्थाओं, जो किसी व्यक्ति को आधार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करती है, के माध्यम से जिन फायदाग्राहियों ने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उन्हें आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है और अगर ऐसे ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील के आस-पास कोई आधार नामांकन केन्द्र नहीं है, तो मंत्रालय को यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रार के साथ समन्वय से अथवा मंत्रालय स्वयं यूआईडीएआई का रजिस्ट्रार बनकर अपनी कार्यान्वियन अभिकरणों और सहायता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से किसी सुगम स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है :

परन्तु यह कि व्यक्ति को जब तक आधार नहीं सौंप दिया जाता, तब तक योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को प्रसुविधा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात्

(क)

(i) अगर उसने अपने-आप को नामांकित कर लिया है, तो उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप; अथवा

(ii) जैसा कि पैरा 2 के उप-पैरा 2.2 में विनिर्दिष्ट किया गया है, आधार के नामांकन के लिए किए गए अनुरोध पत्र की प्रति; और

(ख)

(i) फोटो सहित बैंक की पासबुक; अथवा डाकघर पासबुक अथवा (ii) मतदाता पहचान पत्र; (iii) राशन कार्ड; अथवा (iv) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा (v) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी चालक अनुज्ञप्ति; (vi) पासपोर्ट; अथवा (vii) संस्था की मुहर के अधीन जारी पहचान पत्र (viii) कार्यालयी लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की फोटो सहित पहचान पत्र; (ix) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह कि इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक तथा बिना किसी अड़चन के प्रसुविधा उपलब्ध कराने के अनुक्रम में, मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वियन अभिकरण और सहायता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से निम्नलिखित के साथ-साथ अन्य सभी अपेक्षित प्रबंध किए जाएंगे अर्थात;

2.1 योजना के अंतर्गत आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने के लिए मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार और फायदाग्राहियों को व्यक्तिगत नोटिस दिया जाएगा और उन्हें सलाह दी जाए कि वे नजदीकी नामांकन केंद्रों में जाकर नामांकन कराएं । अगर उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं किया है तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध आधार नामांकन केंद्र में जाकर नामांकन कराएं । स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध कराई जाएगी ।

2.2 योजना के अधीन हितग्राही ब्लॉक अथवा तालुक अथवा तहसील के आस-पास कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण से नामांकन नहीं कर पाते हैं, तो मंत्रालय अपनी कार्यान्वियन अभिकरण और सहायता प्राप्त

संस्थाओं के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा केन्द्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे और इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से पदनामित संबंधित अधिकारियों अथवा कार्यान्वयन अभिकरणों और सहायता प्राप्त संस्थाओं के साथ अथवा उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा 1.3 के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य ब्यौरे देकर आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध पंजीकृत करने हेतु फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगी ।

[फा. स. L-14011/1/2016-HRD]

डॉ. बी. के. मूर्ति, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2018

Subject : Use of AADHAAR as Identity Document for Disbursement of Benefits under Visvesvaraya PhD Scheme.

S.O. 3731(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Central Sector Scheme of Visvesvaraya Ph.D. Scheme for Electronics and Information Technology** (hereinafter referred to as the Scheme) under which financial assistance is given to the Ph.D. candidates and Young Faculty Research Fellows (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries);

And whereas, the financial assistance offered to the beneficiaries is in the form of fellowship, annual contingency grant, reimbursement of rent, support for attending international conferences, and research contingency grant (hereinafter collectively referred to as the benefits). The Scheme is implemented through Digital India Corporation (formerly Media Lab Asia) (hereinafter referred to as the Implementing Agency), which in turn transfers the benefits to the Universities, Institutions and Colleges (hereinafter collectively referred to as the Supported Institutions) supported under the Scheme;

And whereas, the aforesaid benefits under the Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1.

1.1 An individual desirous of receiving the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

1.2 An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment within one month from the date of enrollment under the Visvesvaraya PhD scheme provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

1.3 As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry itself through its Implementing Agency and Supported Institutions, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry

itself through its Implementing Agency and Supported Institutions shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a)

(i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph 2.2 of paragraph 2; and

(b)

(i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or

(ii) Voter identity card; or

(iii) Ration Card; or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) Passport; or

(vii) Identity Card issued under seal of the institution; or

(viii) Certificate of Identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(ix) Any other document as specified by the Central Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry itself through its Implementing Agency and Supported Institutions, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

2.1 Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

2.2 In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementing Agency and Supported Institutions shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or Implementing Agency or Supported Institution or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. L-14011/1/2016-HRD]

Dr. B. K. MURTHY, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.07.31 20:03:25 +05'30'